न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 00202/2018/223

1. सोहन पुत्र स्व0 पोलू, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम बेगलियावास, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. चन्दा पुत्र स्व0 भूरा, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम बेगलियावास, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, बिजयनगर, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती गीता पत्नि हीरालाल,
5. मुकेश पुत्र स्व0 हीरालाल,
6. दिनेश पुत्र हीरालाल,
7. कैलाश पुत्र स्व0 हीरालाल,
   रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 7 नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता श्रीमती गीता पत्नि स्व0 हीरालाल,

रेस्पोडेंटस

8. हगामा पुत्र स्व0 पोलू,
9. श्रीमती छगनी पत्नि स्व0 भागू,
10. महादेव पुत्र स्व0 भागू,
11. सांवरा पुत्र स्व0 भागू,
    रेस्पो0 संख्या 10 व 11 नाबालिगान जरिये सरंक्षिका माता श्रीमती छगनी पत्नि स्व0 भागू,
12. श्रीमती सोहनी पत्नि स्व0 किशनलाल,
13. सुरेन्द्र पुत्र स्व0 किशनलाल,
14. सुनिल पुत्र स्व0 किशनलाल,
15. सुनिता पुत्री स्व0 किशनलाल,
    रेस्पो0 संख्या 13 लगायत 15 नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता श्रीमती सोहनी पत्नि स्व0 किशनलाल,
16. गोपाल पुत्र स्व0 हीरालाल,
    समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम बेगलियावास, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।

तरतीबी—रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 19.01.2017 अंतर्गत वाद संख्या 35/2012.

उपस्थितः—

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर ,वकील अपीलांट ।
2. श्री राकेश अरोड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 व 3.

निर्णय

दिनांकः— 18.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.01.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

2. वादीगण/अपीलांटस एवं तरतीबी रेस्पो0 संख्या 8 लगायत 16 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 53 राज0काश्त0अधि0 तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बेगलियावास स्थित आराजी खसरा नंबर 1196/1559, 1391/1562, 1392 एवं 1396 किता 4 रकबा 4—07—10 व खसरा नंबर 1394 रकबा 2—07—10 तथा खसरा नंबर 1196/1558 रकबा 0—12—00 व खसरा नंबर 1390 रकबा 4 बिस्वा गै0मु0 चाह तथा खसरा नंबर 1196/1557, 1389, 1391 रकबा 2—09—00 बीघा भूमियां उनके पूर्वज भूराजी कुम्हार की है जिनके तीनों पुत्र पोलू, रूपा व प्रतिवादी संख्या 1 चन्दा हुए । इनमें से पोलू व रूपा मर गये है और चन्दा जीवित है उसका विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा है जिसके अनुसार उसके हिस्से 3—10—00 बीघा भूमि आती है लेकिन उसने राजस्व कर्मियों से मिलीभगत करके खसरा नंबर 1391/1562 अपने अकेले के नाम दर्ज करवा लिया है । इसकी दुरूस्ती कराते हुए संपूर्ण भूमियों में प्रतिवादी 1/3 हिस्सा का तथा वादीगण के 2/3 हिस्से के खातेदार घोषित कर बंटवारा किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19.1.2017 द्वारा वादी का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा मौके की भौतिक स्थिति को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना तथा बिना तनकीयात कायम किये केवल मात्र प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है। वादग्रस्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है । विवादित आराजियात के खातेदार वादीगण के पूर्वज भूरा कुम्हार थे जिनके तीन पुत्र पोलू, रूपा, चन्द्रा पुत्रान भूरा हुए । चन्द्रा पुत्र भूरा ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगती करके वादपत्र के मद संख्या 1 में सारणी अ में वर्णित आराजी को अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि उपरोक्त आराजी में पोलू, रूपा एवं चंन्द्रा का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है । वाद बंटवारा का था जिसमें समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था । प्रतिवादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष जो ऐतराज आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र में उठाये उस संबंध में तनकीयात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने वाद को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के आधार पर निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् निर्णय नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे । विद्वान वकील

अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2003 पेज 158 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्श्रयाया0 के समक्ष अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 की ओर से नियुक्त अधिवक्ता ने अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 को प्रत्येक तारीख पेशी पर आने से मना कर रखा था तथा कहा था कि जब आवश्यकता होगी बुलवा लेगें । किन्तु अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं दी गई जिससे तत्समय निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी थी । दिनांक 3.7.2018 को प्रकरण की जानकारी बाबत् संपर्क किया गया तो बताया कि प्रकरण का निर्णय तो दिनांक 19.1.2017 को ही हो गया तब अधिवक्ता द्वारा दिनांक 4.7.2018 को निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 5.7. 2018 को नकल प्राप्त होने पर फीस की व्यवस्था कर दिनांक 16.7.2018 को जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । मृतक खातेदार स्व0 भूरा की आराजियात का उसके तीनों लड़कों के मध्य विभाजन होकर अलग–अलग खाते कायम हो चुके है तथा उसी अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण ने विवादित भूमि को पुश्तैनी होने का कथन किया है किन्तु विवादित आराजियात खसरा नंबर 1391/1562 प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटित होकर स्वअर्जित आराजी है इस कारण वादी का वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है । अपीलांट द्वारा विवादित आराजी को पैतृक साबित करने हेतु कोई विधिक दस्तावेज पेश नहीं किया है । वादी का वाद प्रथमदृष्टया ही निरस्त योग्य होने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद को निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 2008 (2) पेज 1390 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 1196/1559, 1391/1562, 1392 एवं 1396 किता 4 रकबा 4–07–10 व खसरा नंबर 1394 रकबा 2–07–10 तथा खसरा नंबर 1196/1558 रकबा 0–12–00 व खसरा नंबर 1390 रकबा 4 बिस्वा गै0मु0 चाह तथा खसरा नंबर 1196/1557, 1389, 1391 रकबा 2–09–00 बीघा भूमियां उनके पूर्वज भूराजी कुम्हार की है जिनके तीनों पुत्र पोलू, रूपा व प्रतिवादी संख्या 1 चन्दा हुए । इनमें से पोलू व रूपा मर गये है और चन्दा जीवित है उसका विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा है जिसके अनुसार उसके हिस्से 3–10–00 बीघा भूमि आती है लेकिन उसने राजस्व कर्मियों से मिलीभगत करके खसरा नंबर 1391/1562 अपने अकेले के नाम दर्ज करवा लिया है । इसकी दुरूस्ती कराते हुए संपूर्ण भूमियों में प्रतिवादी 1/3 हिस्सा का तथा वादीगण के 2/3 हिस्से के खातेदार घोषित कर बंटवारा किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये

स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम बेगलियावास की जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के खाता संख्या 36 के खसरा नंबर 1394 रकबा 2–14–00 व खाता संख्या 37 के खसरा नंबर 1196/1558 रकबा 12 बिस्वा एवं खाता संख्या 456 के चाह खसरा नंबर 130 व खाता संख्या 457 खसरा नंबर 1196/1557, 1389, 1391 व 1395 कुल किता 4 कुल रकबा 2–09–00 बीघा भूमियां वादी की खातेदारी में दर्ज है । इसी प्रकार खाता संख्या 67 खसरा नंबर 1196/1559 व 1371/1562, 1392, 1396 कुल किता 4 कुल रकबा 4–07–10 बीघा भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 चंन्दा की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नंबर 1390 चाह में प्रतिवादी का हिस्सा भी दर्ज है । वादी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजियात पैतृक भूमियां रही हो । विवादित भूमियां स्व0 भूरा के तीनों लड़कों के मध्य विभाजन होकर अलग–अलग खाते कायम होकर काबिज काश्त चले आ रहे है । वादीगण ने वाद में जो कथन अंकित किये है वे सर्वथा राजस्व अभिलेख के विपरीत है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.1.2017 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर